न्यायालय– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–1, केकड़ी (अजमेर).

पीठासीन अधिकारी – जयमाला पानीगर, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग).

फौजदारी जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 59/2026.

अपराध अन्तर्गत धारा – 8/15 एनडीपीएस एक्ट व धारा 279, 337, 427 भा.दं.सं.

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 275/2022 पुलिस थाना सरवाड़.

गोविन्द पुत्र रामदेव आयु 34 वर्ष, निवासी केसरपुरा पंचायत सराना, पुलिस थाना सराना, जिला–अजमेर (राज.).

.. प्रार्थी/अभियुक्त.

ब ना म

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक केकड़ी, जिला–अजमेर.

–––अप्रार्थी

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता.
उपस्थिति:–

1. श्री निसार अहमद, अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त.
2. अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य.

––––––

– आ दे श – **दिनांकः–17 मार्च 2026.**

01– इस आदेश के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त गोविन्द की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. का निस्तारण किया जा रहा है। जमानत प्रार्थना पत्र की नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। पत्रावली तलब की गई। बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

02– दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा कि प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस थाना सरवाड़ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 275/2022 अन्तर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस.एक्ट व धारा 279,337, 427 भा.दं.सं. के

तहत गिरफ्तार कर दिनांक 26–01–2025 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। उक्त प्रकरण में चालान पेश हो चुका है। प्रकरण में दो गवाहान न्यायालय में परीक्षित हो चुके हैं। गवाह पी.ड.–1 नारायणराम ने कथन किया हैकि थानाधिकारी को मुखबीर की सूचना मिली थी, जिसके पश्चात् भी धारा 42(2) एन.डी.पी.एस. एक्ट की कोई पालना नहीं की गई। उक्त वाहन लावारिस अवस्था में पड़ा था। थानाधिकारी ने कार की जब्ती व फर्दें नहीं बनाई। शैतान गुर्जर ने एक्सीडेन्ट व मादक पदार्थ की रिपोर्ट थानाधिकारी को उसके सामने नहीं दी थी। उक्त घटना में शैतान मौके पर होने के पश्चात् भी किसी भी फर्द पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। फोटोग्राफ प्रदर्श डी–1 लगायत डी–10 तक में गाड़ी नंबर कहीं अंकित नहीं है और ना ही मोबाईल कहां से, किससे जब्त किया, यह भी बयानों में अंकन नहीं है। फोटोग्राफ में थानाधिकारी उपस्थित नजर नहीं आए। उसने एन.डी.पी.एस. की कार्यवाही का अधिकार नहीं होने के कारण उसने कोई जब्ती की कार्यवाही नहीं की, जिससे प्रतीत होता है कि मौके पर सीजर अधिकारी नहीं था तथा सम्पूर्ण कार्यवाही बालाजी कन्स्ट्रक्शन के आफिस में सम्पन्न हुई थी, किन्तु उक्त फर्दो पर हस्ताक्षर नहीं है, न ही बालाजी कन्स्ट्रक्शन के संचालक से कोई पूछताछ की गई, जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्त को प्रकरण में झूठा लिप्त किया गया है। इसके अलावा गवाह पी.ड.–2 कमलेश पक्षद्रोही घोषित हुआ है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार की बरामदगी नहीं की गई है, न ही उक्त गाड़ी प्रार्थी/अभियुक्त के नाम दर्ज है, केवल मात्र पुलिस ने शंका के आधार पर उसे जानबूझकर लिप्त किया है, जिसका उक्त प्रकरण से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज प्रकरण की सुनवाई में लम्बा समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी/अभियुक्त के अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसक भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रार्थी/ अभियुक्त अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है, जिसके अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके परिवार की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त पते का मूल निवासी है, जिसके जमानत की सूरत में कहीं पलायन कर जाने का अंदेशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित प्रत्येक शर्त की पालना करने व आदेशानुसार जमानत, मुचलके पेश करने को तैयार व तत्पर है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

03– इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुए अभियुक्त के पूर्व आपराधिक रेकार्ड व आरोपित अपराध की गंभीरता के मद्देनजर अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

04– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त को प्रकरण में दिनांक 26–01–2025 को गिरफ्तार किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से अभियुक्त के विरूद्ध निम्नानुसार पूर्व आपराधिक रेकार्ड दर्ज होना प्रकट हैः–

क्र. सं.	अपराधी का नाम	एफ.आई. आर संख्या मय दि0 व धारा	नाम थाना	नतीजा मय दिनांक	आरोपी की गिरफ्तारी की दिनांक	रिहाई दिनांक	न्यायालय में चालान पेश करने की दिनांक	वर्तमान स्थिति
1	गोविन्द	310/2018 दिनांक 20–11–18 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट	झालरा पाटन	257/2018 दिनांक 21–12–2018	–	–	–	सजा

05– **Hon'ble Apex court in Zeba Khan V/s State of U.P. & ors. :- CRA -825/2026 dt.11/02/2026** has issued guideline regarding disclosure of material facts in bail applications- (para-49)- Addtionally, in the interest of justice, the following illustrative disclosure framework is provided, which is purely recommendatory in nature, evolved in continuation of, and consonance with the principles laid down by this Court concerning full and candid disclosure in bail proceedings. The framework is intended to act as a facilitative guide, leaving it open to the concerned courts to adopt, adapt, or refine the same in accordance with their procedural framework and the exigencies of individual cases.

(A) CASE DETAILS

- FIR Number & Date- **275/2022 & 23-09-2022.**
- Police Station, District and State- **Sarwar, Ajmer.**
- Sections invoked- **8/15 NDPS Act, 279,337,427 IPC.**
- Maximum punishment prescribed- **10 Years**

(B) CUSTODY & PROCEDURAL COMPLIANCE

- Date of Arrest- **26-01-2025.**
- Total period of custody undergone-**01 year,01 month, 14 days**

(C) STATUS OF TRIAL

- Stage of proceedings (Investigation / Chargesheet / Cognizance / Framing of charges / Trail)- **Trial**
- Total number of witnesses cited in the chargesheet-**22.**
- Number of prosecition witnesses examined- **02.**

(D) CRIMINAL ANTECEDENTS

- FIR No. & Police Station- **310/2018, Jhalrapatan**
- Sections- **8/15 NDPS Act**
- Status (Pending / Acquitted/ Convicted)- **Convicted.**

(E) PREVIOUS BAIL APPLICATIONS

- Court- **ADJ-1 Kekri, Ajmer**
- Case No.- **172/2025.**
- Outcome of case- **Rejected.**

(F) COERCIVE PROCESSES

- Whether any Non-Bailable Warrant was issued- **Nil.**

Whether declared a proclaimed offender-**Nil.**

06– हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त पर दिनांक 23–09–2022 को दिन में 11.39 बजे या उसके लगभग वाहन स्विफ्ट डिजायर कार नंबर आर.जे.06–सी.सी.–5301 को लोकमार्ग खीरिया चैराहे पर तेज गति, उपेक्षा अथवा लापरवाही से चलाकर शिव मंदिर की धर्मशाला के मध्य कमरों व बरामद के मध्य भाग के आगे स्थित चाय की दुकान व छपरा को टक्कर मारते हुए क्षतिग्रस्त करने व उक्त नंबरी वाहन में 07 कट्टों में कुल 134 किलो 960 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के बरामद किया जाने का अन्तर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट व धारा 279, 337, 427 भा.दं.सं. के अपराध का आरोप है। जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान उठाए गए तर्कों का प्रश्न है कि प्रकरण में दो गवाहान परीक्षित हुए हैं, जिनके बयानों से अभियुक्त को प्रकरण में झूठा फंसाया जाना प्रकट हो रहा है। प्रकरण में अन्य महत्वपूर्ण गवाहान के बयान लेखबद्ध किए जाने शेष है। प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम दृष्टया अपराध में संलिप्त होना प्रकट हो रहा है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन न्यायालय द्वारा पूर्व में खारिज किया जा चुका है। प्रकरण की परिस्थितियों में कोई सारभूत परिवर्तन नहीं हुआ है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध की गम्भीरता व उसके पूर्व आपराधिक रेकार्ड के मद्देनजर अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

07– अतः प्रार्थी/अभियुक्त **गोविन्द** की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क दी जावे व एक प्रति जेल अधीक्षक जरिए ई–मेल प्रेषित की जावे।

(जयमाला पानीगर)
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश,
संख्या 1, केकड़ी, जिला–अजमेर.

08– आदेश आज दिनांक 17–03–2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

RAJENDERA NIRWAN

Steno Gr. I "Authenticate Document"
Digitally signed by RAJENDERA NIRWAN
Date: 2026.03.17 17:56:39 +0530

(जयमाला पानीगर)
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश,
संख्या 1, केकड़ी, जिला–अजमेर.